भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 114
मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहारा सहकारी समितियों में निवेशकों के धन की वापसी की स्थिति

†*114. श्री राजीव रायः
श्री सुदामा प्रसादः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा सहकारी समितियों में अपनी मेहनत की कमाई जमा कराने वाले लाखों निवेशक पिछले 4-5 वर्षों से अपने निवेश की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि हां, तो उन लोगों/निवेशकों की संख्या और इन समितियों के पास जमा धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जुलाई, 2023 से सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से छोटे निवेशकों को केवल 10,000 रुपये तक की धन वापसी शुरू की है और यदि हां, तो इस सीमा को लागू करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी निवेशकों को 10,000 रुपए तक की राशि वापस कर दी गई है, यदि हां, तो अब तक कितने निवेशकों को उनकी धनराशि प्राप्त हो चुकी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार/सेबी इन सभी निवेशकों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूर्ण धन वापसी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास भविष्य में ऐसी वित्तीय अनियमितताओं से बचने की कोई योजना/नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी है ।

श्री राजीव राय और श्री सुदामा प्रसाद द्वारा सहारा सहकारी समितियों में निवेशकों के धन की वापसी की स्थिति के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 114 के संबंध में भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी समिति एक स्वायत्त सहकारी संगठन के रूप में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 49 के उपबंधों के अनुसार सदस्य बनाना, उनसे जमाराशि स्वीकार करना और उसका निवेश तथा वेतन का भुगतान सहित स्टाफ संबंधी विषय, इत्यादि जैसे व्यवसाय संबंधी मामले समिति के बोर्ड की शक्तियों और कर्त्तव्यों के अधीन आते हैं और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 52 के उपबंधों के अनुसार समिति की रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन, समिति के मुख्य कार्यकारी की शक्तियों और कर्त्तव्यों के अधीन आते हैं ।

सहारा समूह की चार सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के निवेशकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थी । इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय में व्यक्तियों/निवेशकों की संख्या और इन समतियों में धारित धनराशि का ब्यौरा अनुरक्षित करने की अपेक्षा नहीं है और न ही मंत्रालय में यह उपलब्ध है ।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं.191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती बनाम् भारत संघ और अन्य) में दायर अंतर्वर्ती आवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया कि:

> *"(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the "Sahara-SEBI Refund Account", Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.*
>
> *(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate."*

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की चार बहुराज्य सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके वैध धनराशि के रिफंड के दावे की प्रस्तुति करने हेतु दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" https://mocrefund.crcs.gov.in नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है । संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज़रहित है जिसे न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र की सहायता से किया जा रहा है ।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को उचित पहचान पर और पहचान एवं जमाराशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से संसाधित किया जा रहा है । भुगतान की राशि को प्रामाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किया जा रहा है । वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से रुपए 10,000/- तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है । प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा में आवेदन को इन री-सबमिशन पोर्टल (https://mocresubmit.crcs.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन पुन: प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है ।

अब तक पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,29,166 निवेशकों को 369.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2024 के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31.12.2024 तक का विस्तार दिया है ।

(ङ): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को 97वां संविधान संशोधन के अनुरूप करने और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण में सुधार लाने, सदस्यों के हितों की रक्षा करने, शासन में सुधार लाने और पारदर्शिता में वृद्धि के लिए संशोधित करके दिनांक 03.08.2023 से प्रवृत्त किया गया है । बहुराज्य सहकारी समितियों की निगरानी को सशक्त करने के लिए केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को भी कंप्यूटरीकृत किया गया है ।

*****